

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि० संख्या-भवन/11/आरोप (बेगूसराय)-20/2024211...../पटना, दिनांक-13/7/26

:: कार्यालय आदेश ::

श्री अभय कुमार चन्दन, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय सम्प्रति कनीय अभियंता, भवन प्रमण्डल, अरवल के विरुद्ध भवन प्रमण्डल, बेगूसराय में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मरम्मत कार्य का गोपनीय तरीके से निविदा कर घटिया निर्माण कार्य करने के आरोप के सन्दर्भ में निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित आरोपों को अन्तर्विष्ट करते हुए आरोप पत्र गठित किया गया। गठित आरोप पत्र के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक-7192(भ) दिनांक-04.09.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। विभागीय पत्रांक-10414 दिनांक-22.12.2023 एवं विभागीय पत्रांक-1484 दिनांक-13.02.2024 द्वारा स्मारित करने के बावजूद भी श्री चन्दन द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

(2) आरोप पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में श्री अभय कुमार चन्दन, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय सम्प्रति कनीय अभियंता, भवन प्रमण्डल, अरवल के विरुद्ध आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की विधिवत जाँच करने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु एवं आदेश संख्या-6934(भ) दिनांक-04.09.2024 द्वारा मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं सुश्री मीनल प्रिया, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (उत्तर) उपभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

(3) संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-209(अनु०) दिनांक-11.07.2025 में आरोप पत्र के सभी तीन (03) आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों के सन्दर्भ में आरोपित पदाधिकारी श्री अभय कुमार चन्दन से विभागीय पत्रांक-7556(भ) दिनांक-12.08.2025 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी। विभागीय पत्रांक-9778(भ) दिनांक-17.10.2025 एवं विभागीय पत्रांक-11000 दिनांक-09.12.2025 द्वारा स्मारित करने के बावजूद भी श्री चन्दन द्वारा द्वितीय बचाव अभिकथन समर्पित नहीं किया गया, जो श्री चन्दन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के स्वीकारोक्ति का द्योतक है।

(4) श्री अभय कुमार चन्दन के विरुद्ध मापी पुस्त में मापी के अनुरूप प्रविष्टि नहीं करने का आरोप प्रमाणित है। अतएव श्री अभय कुमार चन्दन, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय सम्प्रति कनीय अभियंता, भवन प्रमण्डल, अरवल के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है:-

(i) संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि पर रोक।

(5) प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार राव)
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Ashish

क०प०उ०.....

ज्ञापांक— भवन/11/आरोप (बेगूसराय)—20/2024...../ पटना, दिनांक—
प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी,
अरवल/बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— भवन/11/आरोप (बेगूसराय)—20/2024/ पटना, दिनांक—
प्रतिलिपि:— श्री अभय कुमार चन्दन, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय
सम्प्रति कनीय अभियंता, भवन प्रमण्डल, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— भवन/11/आरोप (बेगूसराय)—20/2024/ पटना, दिनांक—
प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण
विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य
अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय/अरवल/उप
सचिव/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, अराजपत्रित स्थापना प्रशाखा-3, भवन निर्माण
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— भवन/11/आरोप (बेगूसराय)—20/2024 6392 (N)...../ पटना, दिनांक—13/7/26
प्रतिलिपि:—आईटी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Ashish